पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल वांछित में कुल 12 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12–11–2022

दिनांक 11/12–11–2022 को रात्रि थाना बंथरा 01, थाना मड़ियांव 01, थाना गोमतीनगर 01, थाना सैरपुर 04, थाना बिजनौर 03, थाना पारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 12 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना सुशांत गोल्फ–दिनांक 12–11–2022 को सिटी थाना सुशांत गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि श्री बनवारी लाल पुत्र खेमई निवासी ग्राम व पोस्ट हसनपुर खेवली थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ के द्वारा थाना सुशांत गोल्फ सिटी पर सूचना दी गई कि आज दिनांक 12–11–2022 को उसके पुत्र अमित मौर्या उम्र 30 वर्ष ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एसआई श्री भरत यादव मो0न0–9452848002 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

प्रभारी निरीक्षक सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी श्रीमती नीलम अपने मायके ग्राम भवानीखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ गई हुई थी, आज दिनांक 12–11–2022 को प्रातः जब उसकी पत्नी अपने मायके से उपरोक्त पते पर आयी और घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नही खुला, उसके बाद पड़ोसियों की मदद से घर के अन्दर जाकर देखा गया तो अमित मौर्या अपने घर के अन्दर मृत पड़ा था, आस–पास कीटनाशक दवाईयां पड़ी हुई थी। मृतक मजदूरी करता था। मृतक के काई बच्चे नही है।

थाना चिनहट–दिनांक 12–11–2022 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री अरुण कुमार पुत्र स्व0 रविंद्र नारायण निवासी ग्राम लौलाई संकल्प सिटी कॉलोनी थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 22–10–2022 को वादी दीपावली का त्यौहार मनाने अपने गृह जनपद बनारस चला गया था। दिनांक 10–11–2022 को वादी के पड़ोसी श्री शत्रुघन यादव द्वारा वादी को सूचना दी गयी कि उनके मकान का गेट खुला हुआ है। इस सूचना पर जब वादी द्वारा आकर देखा गया तो वादी की गाड़ी नं0 यूपी–65–बीसी–9578 पैशन प्रो, 01 एलईडी टीवी, गैस सिलेंडर व अन्य सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 802/2022 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।**

थाना काकोरी–दिनांक 12–11–2022 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया वादी श्री तेजपाल यादव पुत्र श्री अशर्फीलाल यादव निवासी ग्राम बुधड़िया थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि दिनांक 11–11–2022 को समय लगभग 7.30 बजे गांव के बाहर हाता में वादी व वादी के पिता व माता सुंदरा देवी, भैंसों को चारा पानी करा रहे थे कि तभी वादी के गांव के ही दिनेश यादव पुत्र हेमचंद्र यादव व पप्पू उर्फ जगदीश तथा हेमचंद्र यादव एवं राकेश निवासीगण ग्राम बुधड़िया थाना काकोरी लखनऊ आये और गंदी गंदी गाली देते हुए कहा कि खेत क्यों नहीं जोतने देते हो। वादी ने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो इस बात पर उन लोगों द्वारा वादी के माता–पिता को गिराकर लाठी–डंडों से मारने लगे। वादी ने किसी तरह से अपने माता–पिता को बचाया तब विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। **इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 418/2022 धारा 323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।**